107a

संख्या- 176/X-2-2012-12(39)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 13 **फरवरी, 2012**

विषयः-अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना-"Intesification of Forest Management" (इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम) के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-1196/3-6(IFM) दिनांक 16 जनवरी, 2012 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-3-08/2007-FPD तथा Sanction order No-33/2011-12/FPD दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित "Intesification of Forest Management" **(इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम) (90 प्रतिशत के0पु0)**योजना के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति **₹184.00 लाख** के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा योजना हेतु स्वीकृत Additional Annual Work Programme हेतु प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश ₹79.78 लाख के साथ राज्यांश ₹8.60 लाख को जोड़ते हुए संलग्न बी0एम0-15 पर उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में **₹ 88,64,000/-(₹ अठासी लाख चौसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से भारत सरकार द्वारा पत्र सं0-3-08/2007-FPD दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Intesification of Forest Management" हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार ही कार्यों का कियान्वयन किया जायेगा.

(2) विभिन्न मदों में भारत सरकार से अनुमोदित मात्र से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी.

(3) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु समक्ष स्तर से अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर भारत सरकार द्वारा कार्यवार अनुमोदित लागत की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय.

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(5) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(6) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(7) धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.

(8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(9) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

क्रमशः.....2

(12) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

(13) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-05-**"इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम"** योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	मानक मद	बजट प्रावधान	पूर्व में निर्गत धनराशि	अवशेष बजट	वर्तमान प्रस्ताव	अभ्युक्ति
1	24-वृहत निर्माण कार्य	7500	5000	2500	7184	(+) 4684 का पुनर्विनियोग
4	29-अनुरक्षण	7500	7500	0	1762	(+) 1762 का पुनर्विनियोग
5	42-अन्य व्यय	9200	2005	7195	-82	(-) 6446 का पुनर्विनियोग। शासनादेश सं0-1941/X-2-2011-12(39)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹184.00 लाख सम्बन्धी शासनादेश में मानक मद 42-अन्य व्यय में ₹20.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, किन्तु भारत सरकार से स्वीकृत ए0पी0ओ0 के अनुसार मानक मद 42-अन्य व्यय में ₹13.95 लाख की स्वीकृति ही होनी थी। इस प्रकार ₹6.10 लाख जी0ओ0आई0 के अनुसार अधिक निर्गत हुआ है, किन्तु वर्तमान में अतिरिक्त ए0पी0ओ0 में मानक मद 42-अन्य व्यय के कार्यों हेतु ₹5.28 लाख स्वीकृत किया गया है अतः स्वीकृत ₹5.28 लाख को पूर्व में अधिक निर्गत वित्तीय स्वीकृति ₹6.10 लाख से समायोजित करते हुए अवशेष ₹82.00 हजार का पुनर्विनियोग 29-अनुरक्षण में सम्मिलित करते हुए मानक मद 29-अनुरक्षण में ₹17.62 लाख का पुनर्विनियोग किया जा रहा है तथा ₹82.00 हजार को समायोजित किये जाने के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति से ₹82.00 हजार को घटाते हुए ₹88.64 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
	योग	32500	18400	9695	8864	

(वर्तमान स्वीकृति ₹ अठासी लाख चौसठ हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-375(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 08 फरवरी, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या- 176 (1)/X-2-2012, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2011-12 अनुदान संख्या-27 राजस्व लेखा आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड (धनराशि ₹ हजार में)

क0 सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि		लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4		5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0105-इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम 42-अन्य व्यय 9200	97	2657	6446	1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0105-इन्टीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम 24-वृहत निर्माण कार्य 4684 29-अनुरक्षण 1762	12184 9262	2754 0	क-भारत सरकार से अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों से सम्बन्धित मानक मदों में आवश्यकता तथा शेष मानव मदों में बचत
योग	9200	97	2657	6446		6446	21446	2754	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघ नहीं होता है.

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 375 (P)/XXVII(4)/2011 दिनांक 08 ~~जनवरी~~ जनवरी, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(डा0 एम0सी0जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 176 (2)/X-2-2012-12(39)/2006 दिनांक 13 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,
(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव